संख्या- **426**/2025/1328/41-1-2025/001-CN-1796736-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **28** अप्रैल, 2025

**विषयः-उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-270/6-1-1(विविध-यो0)/2024-25,दिनांक 21 अप्रैल, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सेपर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-395/2025/1199/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 31 मार्च, 2025 द्वारा कुल 07 परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 01.75 लाख (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) को समयाभाव के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरित नहीं किये जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किसमयाभाव के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त की धनराशि आहरित नहीं किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त के रूप में निम्नवत् सारणी के अनुसार कुल रू0 01.75 लाख (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) को पुन: अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0सं0 | कम्प्यूटर संख्या | महानिदेशक का पत्र संख्या दिनांक | कार्य का नाम | नामित कार्यदायी संस्था | परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (जी0एस0टी0 सहित) | प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि | विशिष्ट शर्तें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 1914693 | 11390/ 6-1-1(05)/ 2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 | जनपद मऊ डुमरांव गांव में स्थित पौहारी बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य | यू0पी0एस0टी0 डी0सी0 | 99.25 | 0.25 | सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र, 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंकखाता उप निदेशक, पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।<br>उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।<br>परियोजनाकी ड्राइंग डिजाईन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वालेआइकन लिये जाए तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग/डिजाइन |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | परमहानिदेशक, पर्यटन महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए । |
| 2 | 1914774 | 11473/6-1-1\05\|2024-25] दिनांक 30 मार्च, 2025 | जनपद मैनपुरी के ग्राम जासमई में श्री हनुमान जी महाराज मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य | यू0पी0पी0सी0ए ल0 | 191.53 | 0.25 | सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र, 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंकखाता क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।<br>उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।<br>परियोजनाकी ड्राइंग डिजाईन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वालेआइकन लिये जाए तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग/डिजाइन परमहानिदेशक, पर्यटन महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।+ |
| 3 | 1914757 | 11473/6-1-1\05\|2024-25] दिनांक 30 मार्च, 2025 | जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-बलरामपुर सदर में शक्तिपीठ जुआदेवी मंदिर श्रीनगर जुआथान के पर्यटन विकास कार्य | यू0पी0एस0टी0 डी0सी0 | 75.00 | 0.25 | सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध, 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खातावविवरण उप निदेशक पर्यटन, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।उपरोक्तप्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शितकरने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्वड्रईंग/डिजाइन पर महानिदेशक पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जानासुनिश्तिच किया जाया। |
| 4 | 1914759 | 11473/6-1-1\05\|2024-25] दिनांक 30 मार्च, 2025 | जनपदसन्तकबीरनगर के विधान सभा-खलीलाबाद के ग्रामसभा-कोल्हुआ में प्रसिद्धसमय माता मंदिर के पर्यटन विकस एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन कार्य | यू0पी0एस0टी0 डी0सी0 | 114.91 | 0.25 | सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध, 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खातावविवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध करायाजायेगा। उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्यप्रारंभ कराया जायेगा । परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष केप्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करनेसे पूर्व ड्रईंग/डिजाइन पर महानिदेशक पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त कियाजाना सुनिश्तिच किया जाया। |
| 5 | 1914764 | 11473/6-1-1\05\|2024-25] दिनांक 30 मार्च, 2025 | जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर के पर्यटन विकास कार्य | यू0पी0पी0सी0ए ल0 | 61.18 | 0.25 | सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध, 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खातावविवरण संयुक्त निदेशक, पर्यटन, मेरठ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।<br>उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों कोप्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्वड्रईंग/डिजाइन पर महानिदेशक पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जानासुनिश्तिच किया जाया। |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1914758 | 11473/6-1-1\05\|2024-25] दिनांक 30 मार्च, 2025 | जनपद हरदोई के वि0ख0-भरावन के ग्राम सोनिकपुर में महाभारत कालीन वाणेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन विकस कार्य | यू0पी0एस0टी0 डी0सी0 | 74.99 | 025 | सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध, 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खातावविवरण उप निदेशक पर्यटन, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । उपरोक्तप्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा । परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शितकरने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्वड्राईंग/डिजाइन पर महानिदेशक पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जानासुनिश्तिच किया जाया। |
| 7 | 1914765 | 11473/6-1-1\05\|2024-25] दिनांक 30 मार्च, 2025 | जनपद शाहजहांपुर के वि0स0-कटरा के वि0ख0-जैतीपुर के ग्राम पहाड़पुर में स्थित शिव संकट मोचन धाम मंदिर के पर्यटन विकास कार्य | यू0पी0एस0टी0 डी0सी0 | 104.40 | 0.25 | सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध, 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खातावविवरण उप निदेशक पर्यटन, बरेली द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।उपरोक्तप्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा । परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शितकरने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्वड्राईंग/डिजाइन पर महानिदेशक पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जानासुनिश्तिच किया जाया। |
| | | | | | **कुल योग** | **01.75** | |

(1) प्रश्नगत परियोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार परियोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही परियोजना के निर्माण हेतु अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा परियोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) परियोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना का सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(16) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(18) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत निहित विशिष्टि प्रकार की लाइट फिटिंग्स एवं फिक्चर्स, जो बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित हैं, की दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायियित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम के कार्यों हेतु पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्रय एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) , निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ ए- 2-60/ दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई , 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ ए- 2-66/ दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई , 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(22) परियोजनान्तर्गत बॉट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग-1**,** उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2764/41-1-2024/CN-1864107/2024, दिनांक 07 नवम्बर, 2024द्वारा गठित क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(23) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उप निदेशक**,** पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,75,000 (रूपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025**,** दिनांक 27 मार्च**,** 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय**,**

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश**,** प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी,मऊ/मैनपुरी/बलरामपुर/संतकबीरनगर/बुलन्दशहर/हरदोई/शाहजहांपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरशन लि0,लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
9. निदेशक,उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA),लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
11. सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।